कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
29/5/18	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य [illegible] कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 6/7/18 को पेश हो।
3/7/18	जनाब की ओर वकील साहब उपस्थित आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण एकतरफा अग्रिम कार्यवाही आगे की जाकर वकील साहब की बहस श्रवण करने हेतु प्रकरण आज्ञा किया जाता है। बहस वकील साहब एवं पत्रावली के मनन दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी अनुसूचित जाति अधिनियम के 14-5-2009 को प्रकाशन के उल्लंघन में कारण किया गया है पत्रावली से स्पष्ट होकर दर असल के कारण प्रकाशन का हल की है।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)